

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

कलावती बनाम लो.सू.अ.( तहसीलदार लूणी )

सू.अ.अ. अपील संख्या 241/2020

नं० व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

05.01.21

अपीलार्थी कलावती देवी पत्नी राजेश कुमार, पता 244, कुम्हारों की ढाल, बाम्बे ठाईंग शो रूम के पीछे, नई सड़क जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 03.10.20 में उसके द्वारा (1) न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर राजस्व अपील संख्या 121/2008 निर्णय दिनांक 24.05.2010 के सन्दर्भ में उपरोक्त आदेश प्राप्त होने से लेकर सूचना भिजवाने तक आपके कार्यालय द्वारा इस संबंध में जो भी कार्यवाही की गई की सम्पूर्ण पत्रावली मय नोटशीट, ऑर्डरशीट, संबंधितों को लिखे पत्र इत्यादि, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना पत्र पत्रांक सूअ./2020/6250 दिनांक 06.11.2020 दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( तहसीलदार लूणी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( तहसीलदार लूणी ) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी( तहसीलदार लूणी ) निर्देशित किया जाता है कि उनके कार्यालय से संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।